बिहार सरकार
वाणिज्य–कर विभाग
–: अधिसूचना :–

पटना, दिनांक– 27/05/2026

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपने बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2021–22 में सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को Refund of unutilized ITC on export of goods and services without payment of Tax मद में दिनांक–02.03.2022 को रू० 42,74,375.00 एवं दिनांक–25.09.2021 को रू० 12,17,843.00 के दो Erroneous Refund स्वीकृत किये गये। इस मामले में राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पत्रांक–825 दिनांक–13.10.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच में मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य पाये गये :–

(i) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–02.03.2022 को स्वीकृत रू० 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में रिफंड आवेदन में जिस माल का Export दर्शाया गया है, वह माल आवेदक/रिफंड प्राप्तकर्त्ता व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI के निबंधन ब्यौरे में शामिल नहीं है। इतना ही नहीं आवेदक के आपूर्तिकर्त्ता व्यवसायी सर्वश्री Sabita Enterprise, GSTIN-19AZWPS4920L2ZC ऐसे माल के कारोबार हेतु निबंधित नहीं है। आवेदक व्यवसायी द्वारा जिन मालों के लिए निबंधन प्राप्त किया गया है, उन मालों के लिये किसी प्रकार का संव्यवहार ही नहीं किया गया। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(ii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–02.03.2022 को स्वीकृत रू० 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading के बाढ़ अंचल, बाढ़ में निबंधित होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021–22 में उनके दाखिल विवरणियों एवं उससे संबंधित तथ्यों की अनदेखी की गयी तथा सर्तकता बरतते हुए सूक्ष्मता से जाँच नहीं की गयी।

(iii) आवेदक सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा पश्चिम बंगाल अवस्थित आपूर्तिकर्ता M/s Sabita Enterprise, GSTIN-19AZWPS4920L2ZC से दिनांक–31.12.2021 को खरीद किये गये माल का संव्यवहार तथा निर्यात के लिए M/s Sabita Enterprise से कुल रू० 2.80 करोड़ के खरीदगी का परिवहन संदिग्ध था। इस बिन्दु की सम्यक् जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(iv) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–02.03.2022 को स्वीकृत रू० 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में रिफंड प्राप्तकर्ता व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा 2.41 करोड़ रूपये के माल का निर्यात नेपाल अवस्थित एक ही व्यवसायी सर्वश्री Puja Emporium को दस लाख से कम के छोटे–छोटे 29 Export Invoice निर्गत कर दर्शाये गये हैं, ताकि Custom Port पर इसकी सूक्ष्मता से जाँच नहीं हो सके। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।

(v) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–02.03.2022 को स्वीकृत रू० 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में Export Invoice दिनांक 31.12.2021 को निर्गत किये है जबकि Shipping Bill के विवरण में Export Invoice की तिथि 31.01.2022 अंकित है। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा इस तथ्य की घोर अनदेखी करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।

(vi) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–25.09.2021 को स्वीकृत रू० 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में व्यवसायी द्वारा माह अप्रैल 2021 के GSTR-3B में रू० 1,27,14,868.31 Export दिखाते हुए रू० 10,20,599.00 का GST मद में कर

दायित्व स्वीकार करते हुए विवरणी दाखिल की गयी। जबकि रिफंड RFD-01 में रिफंड का कारण–'Refund of ITC on Export of Goods and services with payment of Tax दिखाकर रू० 12,17,843.00 का रिफंड लिया गया, जो विरोधाभासी है। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(vii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–25.09.2021 को स्वीकृत रू० 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा दिये गये रिफंड आवेदन एवं विवरण के अनुसार M/s Janvi Trading, GSTIN-19AYZPM0984G1ZL, पश्चिम बंगाल से दिनांक–17.04.2021 एवं 23.04.2021 को खरीदे गये माल का Export दिनांक–23.04.2021 दिखाया गया है जबकि Shipping Bill विवरण में Export Invoice दिनांक–09.04.2021 को निर्गत दर्शाया गया है, जो विरोधाभासी है। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(viii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक–25.09.2021 को स्वीकृत रू० 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड आदेश पारित करने के पूर्व E-way bill की समुचित जाँच नहीं की गयी। जबकि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा आदेश पत्रक में E-way bill की जाँच किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(ix) राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा पत्रांक–825 दिनांक–13.10.2022 के माध्यम से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में अपना मंतव्य दिया गया कि रिफण्ड प्राप्तकर्ता व्यवसायियों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से जान–बूझ कर गलत तथ्यों/साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए रिफण्ड प्राप्त किया गया। साथ ही रिफण्ड आदेश पारित करने वाले पदाधिकारी (तत्कालीन अंचल प्रभारी) द्वारा भी रिफण्ड आदेश पारित करने से पूर्व आवश्यक जाँच नहीं की गयी। फलतः जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में Erroneous Refund का मामला मानते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने की अनुशंसा की गयी।

इस प्रकार पाया गया कि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को क्रमशः दिनांक–02.03.2022 को रू० 42,74,375.00 एवं दिनांक–25.09.2021 को रू० 12,17,843.00 के रिफन्ड आदेश पारित करने से पूर्व सभी आवश्यक बिन्दुओं एवं तथ्यों की सम्यक् एवं समुचित जाँच नहीं की गयी तथा Erroneous Refund प्रदान किया गया।

राज्य कर अपर आयुक्त (प्र०), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच के आलोक में श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक–140/सी(अनु0) दिनांक–13.06.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री झा द्वारा पत्रांक–शून्य दिनांक–18.08.2023 के माध्यम से अपना बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक–13/सी(अनु0) दिनांक–24.01.2024 के माध्यम से अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा के वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि–31.10.2024 तक अनुशासनिक कार्यवाही का निष्पादन नहीं होने के कारण उक्त अनुशासनिक कार्यवाही को अधिसूचना संख्या–12/सी दिनांक–09.01.2025 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।

श्री झा के विरूद्ध संचालित उक्त अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक–वि0का0सं0–08/2024–66/गो0 दिनांक–17.03.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा श्री झा पर लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक–155/सी(अनु0) दिनांक–30.04.2025 के द्वारा श्री झा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी।

उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपने पत्रांक–शून्य दिनांक–16.06.2025 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के अंतर्गत उनके पेंशन से 15 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–14123 दिनांक–16.10.2019 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक–251/सी (अनु0) दिनांक–23.07.2025 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी।

तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–405 दिनांक–11.05.2026 के माध्यम से उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त/प्रदान की गयी।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति/परामर्श के आलोक में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से 15 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से करते हुए उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– कौन/भी–107/2023 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), वीरचंद पटेल पथ, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक :– कौन/भी–107/2023 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना को सी०डी० सहित दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– कौन/भी–107/2023 पटना,दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— कौन / भी—107 / 2023 1541/सी पटना, दिनांक— 27/05/2026

प्रतिलिपिः— सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / —

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः— कौन / भी—107 / 2023 1541/सी पटना, दिनांक— 27/05/2026

प्रतिलिपिः— माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना / माननीय उपमुख्य (वाणिज्य—कर) मंत्री, के आप्त सचिव, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / राज्य कर आयुक्त—सह—सचिव, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव / सभी राज्य कर विशेष आयुक्त, बिहार, पटना / सभी राज्य कर अपर आयुक्त, बिहार, पटना / सभी अंचल प्रभारी, वाणिज्य—कर विभाग / मुख्यालय में पदस्थापित सभी पदाधिकारी / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना / राज्य—कर संयुक्त आयुक्त, राजपत्रित स्थापना शाखा / आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य—कर विभाग, बिहार, पटना को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु / श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत पता—घर / प्लॉट सं0—N/8 प्रोफेसर कॉलोनी, डाकघर—चित्रगुप्त नगर, जिला— पटना, पिन कोड— 800020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.05.2026

सरकार के उप सचिव।